

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)**

Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक **661** /13सी.

दिनांक **04** / 04 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

विषय:- त्रियुगीनारायण-तोषी मोटर मार्ग का निर्माण (राज्य योजना) (द्वितीय चरण)

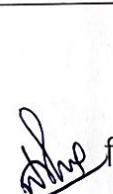
Purposal No FP/UK/ROAD/39084/2019

- सन्दर्भ:-
1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यलय देहरादून के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/179/2020/एफ0सी0 दिनांक 30.12.2024
 2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्द्रानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1827/12-1 देहरादून दिनांक 10.01.2025

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में मांगी सूचना निम्नवत्त है।

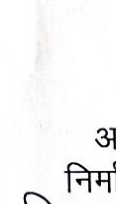
क्र०सं०	मांगी गयी सूचना	निराकरण
1	भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र सिविल एवं सोयम भूमि को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुये ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर हार्ड कापी प्रेषित करना।	अधिसूचना संख्या-869-एफ/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या-1506/14-2-97-800(I)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। प्रमाण पत्र संलग्न है।


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।
 दिनांक **04** / 04 / 2025

पत्रांक **661** /13सी.

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्द्रानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड लो.नि.वि. ऊखीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी गोटर्ग मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 है० वन भूमि का गैर वाणिज्यिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राग-न्यालरू श्रेणी-0(ख)(2)- (अन्य प्रकार के वृक्ष जंगल झाड़िया व लम्बी घास) की ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या-20 के खसरा संख्या 022 एकवा 6.437 है० मध्ये-5.437 है० तथा खसरा संख्या-023 एकवा-3.704 है० मध्ये-3.503 है० अर्थात् कुल एकवा 0.00 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक-5020/18वीस 17/2020 21 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अभिलेखन संख्या 869-17/6.38 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या-1506/14-2-97-800(11)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पास में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक- 2469 / 12-1 दिनांकित पौड़ी 01/04 / 2023

- प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड, देहरादून।
 2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 3. प्रमुख वन संरक्षक (HofF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
 4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
 5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
 6. संबंधित जिलाधिकारी।
 7. गार्ड फ़ाइल।

P.C attested

सहायक जिलाधिकारी
निर्माण खण्ड लो० मि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।